न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2, ब्यावर,

जिला अजमेर।

दीवानी वाद सं. 21/2018 (42/2016)

सी.आई.एस. नं. 44/2016

श्रीमती इन्दिरा दायमा बनाम श्रीमती प्यारी देवी व अन्य

दिनांक 06.11.2024

वकुलाय फरिकेन उपस्थित।

इस आदेश द्वारा अधिवक्ता वादिया द्वारा प्रस्तुत दरखास्त दिनांकित 30.09.2024 अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसका जवाब अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दिनांक 15.10.2024 को दिया गया, का निस्तारण किया जा रहा है।

अधिवक्ता वादिया द्वारा दरखास्त में निवेदन किया गया है कि वसीयतनामा दिनांकित 06.02.2002, जिसकी सत्य प्रतिलिपि वाद संस्थिकरण के समय प्रस्तुत कर दी गई थी व मूल वादिया के पास उपलब्ध नहीं थी, जिसके संदर्भ में प्रतिवादीगण को आदेश 12 नियम 8 के तहत नोटिस दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं करने से प्रमाणित प्रतिलिपि उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त करी तथा वादग्रस्त संपत्ति के बाबत ग्राम पंचायत द्वारा जारी मौका पर्चा दिनांकित 08.07.2020 सहित वादग्रस्त संपत्ति में विद्युत कनेक्शन दिलाने हेतु प्रतिवादी जितेन्द्र नाथ द्वारा लिखा गया पत्र दिनांकित 18.03.2011 व सरपंच महोदय व कनेक्शन के स्वीकृति बाबत लिखा हुआ पत्र है व जितेन्द्र नाथ ने अपने पक्ष में पट्टा प्राप्त करने की कार्यवाही की, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि भी वादिया ने वाद दायरी के बाद प्राप्त की है, जिन्हें रिकॉर्ड पर लेना आवश्यक है। उक्त दस्तावेज वाद विषय से सुसंगत है और वाद के विधि विचारण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिए जाने की अनुकंपा करे।

वादिया द्वारा प्रस्तुत दरखास्त के जवाब में अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने निवेदन किया है कि वादिया द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित वसीयतनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांकित

30.09.2022 को प्राप्त कर लेना प्रकट होता है और अब दिनांक 30.09.2024 को अर्थात् दो वर्ष पश्चात् अपने आधिपत्य व कब्जे में रहने के बाद उक्त दस्तावेज जानबूझकर प्रकरण को देरी करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार मौका पर्चा दिनांक 08.07.2020 का है व प्रार्थना पत्र सहायक अभियंता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड दिनांक 18.03.2011 का है। अधिवक्ता वादिया द्वारा प्रस्तुत सूची में उल्लेखित दस्तावेज सं. 3, 4, 5 व 6 वाद दायरी से पूर्व वादिया के पास उसके कब्जे में रहे हैं व दस्तावेज सं. 2 वादिया के द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्राप्त किए हैं। दस्तावेज सं. 7, 8, 10, 11, 12 जो कि वादिया द्वारा प्रस्तुत सूची में उल्लेखित है, वाद प्रस्तुति के पूर्व के दस्तावेज है और उपरोक्त संपूर्ण दस्तावेज वर्ष 2007 में वादिया को प्राप्त हो चुके थे और वर्तमान में उक्त दस्तावेज को देरी से पेश करने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है। वादग्रस्त जायदाद की वसीयत श्री उगमनाथ जी ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 09.10.2008 को उनकी पोती पिंकी व ममता के नाम निष्पादित कर दी थी व इस बाबत प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में भी स्पष्ट अभिकथन करते हुए दिनांक 21.02.2017 को ही वादिया को बता दिया था व इसकी जानकारी दिनांक 21.02.2017 से वादिया को है। इसके पश्चात् भी वादपत्र को चला रखा है। चूंकि वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज किसी भी विवाद्यक को सिद्ध करने हेतु सुसंगत दस्तावेज नहीं है व न ही वाद के विधि विचारण के लिए आवश्यक है। इसलिए वादिया का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः वादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विशेष खर्चे के साथ खारिज किया जावे।

मेरे द्वारा उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। अधिवक्ता वादिया द्वारा यह वाद वास्ते विनिर्दिष्ट अनुपालना व स्थाई निषेधाज्ञा के संदर्भ में दिनांक 26.08.2016 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें वादिया द्वारा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के द्वारा दिनांक 03.11.2010 को वाद में उल्लेखित संपत्ति के संदर्भ में अपने पक्ष में बेचान का इकरार किया जाना व भौतिक कब्जा सौंपे

जाने के संदर्भ में अभिकथन किया था। इसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वादिया के तथ्यों का खण्डन किया गया और दिनांक 20.10.2021 को प्रकरण में विवाद्य क विरचित किए गए।

आदेश 7 नियम 14 के तहत जहां वाद किसी दस्तावेज के आधार पर वाद लाते है या अपने दावे के समर्थन में अपने कब्जे व शक्ति में दस्तावेज पर निर्भर करता है, वहां उन दस्तावेजों की सूची वादपत्र प्रस्तुत किए जाते समय न्यायालय में पेश करेगा और उसी समय दस्तावेज और उसकी प्रति को वादपत्र के साथ फाइल किए जाने के लिए प्रदत्त करेगा और यदि ऐसा दस्तावेज वादपत्र प्रस्तुतिकरण के समय प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो बिना न्यायालय की अनुमति के वाद की सुनवाई के समय साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज सूची को दृष्टिगत रखने पर जाहिर होता है कि वादिया के वाद संस्थिकरण की दिनांक 26.08.2016 से पूर्व के दस्तावेज भी उक्त सूची में शामिल है, जिनको आज दिनांक तक प्रस्तुत न करने का कोई युक्तियुक्त कारण अधिवक्ता वादिया द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों की क्या सुसंगतता विनिर्दिष्ट अनुपालना के दावे में है, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। वर्ष 2016 के संस्थित दावे में वर्ष 2024 में दस्तावेज प्रस्तुत करना न्यायिक प्रक्रिया का संदमित होना सामने आता है। लिहाजा तथ्यात्मक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 व धारा 151 जा. दी. दिनांकित 30.09.2024 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में दिनांक 11.11.2024 को पेश हो।